संख्या-221/2016/806/22-2-2016-17(205)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 03 नवम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चिरौंजी लाल पुत्र श्री नरायन लाल, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चिरौंजी लाल पुत्र श्री नरायन लाल, थाना-भुता, जनपद-बरेली का रहने वाला है। दहेज में तीस हजार रूपये की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.06.2005 को अपनी पत्नी राजरानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1029/2006 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रेक कोर्ट-4, बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2010 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31-08-2015 तक 05 वर्ष 05 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 06 वर्ष 10 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण उत्तम है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त दिनांक 01.01.2015 को सजा पूर्ण कर कारागार से रिहा किया जा चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है । प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी चिरौंजी लाल पुत्र श्री नरायन लाल, निवासी जनपद-बरेली को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चिरौंजी लाल (बन्दी संख्या-561/2010) पुत्र श्री नरायन लाल, निवासी जनपद-बरेली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-221/2016/806(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-221/2016/806@22-2-2016-17(205)/2016

दिनांक 03 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चिरौंजी लाल पुत्र श्री नरायन लाल, थाना-भुता, जनपद-बरेली का रहने वाला है। दहेज में तीस हजार रूपये की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.06.2005 को अपनी पत्नी राजरानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1029/2006 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रेक कोर्ट-4, बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2010 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31-08-2015 तक 05 वर्ष 05 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 06 वर्ष 10 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण उत्तम है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त दिनांक 01.01.2015 को सजा पूर्ण कर कारागार से रिहा किया जा चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है । प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी चिरौंजी लाल पुत्र श्री नरायन लाल, निवासी जनपद-बरेली को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।